"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2014—फाल्गुन 2, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक/एफ 1/01/2014/एक-15/भा.व.से.—श्री जे. आर. नायक, भा.व.से. (2002), वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल, दंतेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल, कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री प्रभात मिश्रा, भा.व.से., वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल, कोरबा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्रमांक/एफ 1-114/2001/1-15.—श्री देवेन्द्र सिंह, भा.व.से. (1988), संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम तथा सचिव, कृषि एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 22-01-2014 से दिनांक 29-01-2014 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री देवेन्द्र सिंह, भा.व.से., संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम तथा सचिव, कृषि एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. श्री देवेन्द्र सिंह को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देवेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्रमांक-एफ 1-1/2014/(6)52.—छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 29 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा वित्त निर्देश क्रमांक-54/2013, दिनांक 26 अगस्त 2013 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, विनियम 1980 के नियम 7 के उपनियम (1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में नियम 7 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"7 (1) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष की होगी."

2. यह अधिसूचना दिनांक 31-08-2013 से प्रवृत्त समझा जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 10-3/2014/16.—भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 (नियोजन तथा सेवा शर्त-विनियमन) के नियम 2(g) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक F 10-03/2013/16 दिनांक 28-06-2013 द्वारा नियुक्त उपकर निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बैरागी प. ह. नं. 17	1.760	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सलखेता जलाशय योजना की शाखा नहर (परसा माइनर) हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गोलाबुड़ा प. ह. नं. 21	0.216	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	किरकिला ऐनीकट योजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक/160/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बरारमुन्डी प. ह. नं. 10	0.403	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	गुण्डरदेही - नांदिया-बरारमुन्डी मार्ग में शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 जनवरी 2014

क्रमांक/553/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़ नजूल शहर शीट क्रमांक 06, 07	6189 (मकान)	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण (भ/स) संभाग, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	तुमड़ीबोड़ - डोंगरगढ़ मार्ग बधियाटोला से नीचे मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक/414/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 05 अ./82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खण्डवा, प.ह.नं. 139/18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-31.72 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	184	1.02
	185	0.12
	186	5.58
	187	14.29
	188	9.93
	189	0.78
योग	6	31.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत जंगल सफारी के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-उनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
457/1	0.02
457/2	0.04
457/3	0.04
457/4	0.04
457/5	0.06
458/1	0.04
458/2	0.02
458/3	0.02
458/4	0.01
458/5	0.01
458/6	0.01
459	0.12
460/1	0.05
460/2	0.03
460/3	0.03
461/2	0.03
461/3	0.03
462	0.10
463/1	0.06
463/2	0.06
464/1	0.08

(1)	(2)
464/2	0.10
465/1	0.10
465/2	0.10
466	0.02
467	0.02
480/1	0.05
480/2	0.05
482/1	0.03
482/2	0.04
483	0.10
510/1	0.10
योग	1.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उनी गाड़ाघाट सोनडीह मार्ग पर लीलागर सेतू के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मगरउछला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
181/2	0.39
181/1	0.44
182/2	0.16
172/1	0.02
179/1	0.12
योग	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 04 जनवरी 2014

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
288/2	0.02
287/11	0.08
287/37	0.01
287/23	0.06
287/9	0.08

(1)	(2)
287/14	0.05
284/2, 780/2	0.16
281/1	0.08
306/2	0.08
309/2	0.03
413/2	0.04
412/3	0.05
409/4	0.03
408/1क	0.05
408/2ख	0.03
408/2ग	0.02
408/2घ	0.02
योग	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के मौहापाली माइनर क्र. 02 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 04 जनवरी 2014

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2/1	0.17
2/2	0.12
2/6	0.02
2/5	0.01
13/3क	0.02
योग	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के मौहापाली माइनर क्र. 01 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8467/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-दर्रा, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.457 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
654	0.125

	(1)	(2)
	656	0.109
	657	0.223
योग	3	0.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अउरदा से दर्रा मार्ग पर सोनबरसा नाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8468/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-अउरदा, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.395 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	188/2	0.352
	186/1	0.137
	173/1	0.231
	203	0.659
	206	0.016
योग	5	1.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अउरदा से दर्रा मार्ग पर सोनबरसा नाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2014

क्रमांक/470/वि.यो./न.ग्रा.नि./2014.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजनांदगांव निवेश क्षेत्र के लिए पुनर्विलोकन विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (1) एवं (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है. उक्त पुनर्विलोकन विकास योजना प्रारूप की प्रति कलेक्टर कार्यालय राजनांदगांव, नगर पालिक निगम राजनांदगांव एवं सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

उक्त पुनर्विलोकन विकास योजना प्रारूप योजना की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है.

उक्त पुनर्विलोकन विकास योजना प्रारूप के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव को "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ख) पुनर्विलोकन विकास योजना प्रारूप के उपबंधों का स्पष्ट करने वाले मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ग) पुनर्विलोकन विकास योजना प्रारूप की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पणी जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्य की जानी है.

(घ) लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के खर्चों का तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वेलित कार्य के खर्च का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाला टिप्पणी.

No./470/T&CP/DP/2014.—Notice is hereby given that the Review draft Development Plan 2031 for Rajnandgaon Planning Area is published in accordance with the provisions of sub section (1) and (2) of section 23 read with sub section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of there of is available for inspection at the Offices of Collector office Rajnandgaon, Municipal corporation Rajnandgaon and of Assistant Director, Town & Country Planning Rajnandgaon during office hours except holidays.

The particulars of the said draft plan have been specified in the schedule given below :—

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, it should be sent to Assistant Director, Town & Country Planning, Rajnandgaon, within thirty days from the day of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette".

SCHEDULE

1. Existing land use map and narrative report
2. Narrative report, explaining the provisions of the review development plan (draft) supported by maps and charts.
3. Note indicating the phasing of implementation of the review development plan (draft) and stating the manner in which permission to development to be obtained.
4. Note indicating an appropriate estimate of the cost of land acquisition for public purposes, and the cost of works involved in the implementation plan.

एस. एस. बजाज,
संचालक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 12 फरवरी 2014

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक/442/भू.पा.ला.प्र.अ./01/अ-74/वर्ष 2013-14.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाईप लाईन हेतु शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन सहगांव एनीकट से ग्राम सहगांव, तहसील-धमधा, जिला दुर्ग से जल परिवहन हेतु ग्राम नंदिनी खुदनी तहसील धमधा जिला दुर्ग तक शासकीय भूमि पर मे. जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लि. द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी दुर्ग (छ.ग.) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दुर्ग	धमधा	सहगांव/31	1	0.10
—,,—	—,,—	—,,—	2	0.03
—,,—	—,,—	—,,—	14	0.02
—,,—	—,,—	—,,—	16	0.01
		योग	**4**	**0.16**

दुर्ग, दिनांक 12 फरवरी 2014

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक/444/भू.पा.ला.प्र.अ./02/अ-74/वर्ष 2013-14.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाईप लाईन हेतु शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन सहगांव एनीकट से ग्राम सहगांव, तहसील-धमधा, जिला दुर्ग से जल परिवहन हेतु ग्राम नंदिनी खुदनी तहसील धमधा जिला दुर्ग तक शासकीय भूमि पर मे. जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लि. द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, अनुविभागीय

अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी दुर्ग (छ.ग.) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दुर्ग	धमधा	नंदिनी खुदनी/31	1	0.02
—,,—	—,,—	—,,—	293	0.01
—,,—	—,,—	—,,—	321	0.15
		योग	**3**	**0.18**

एस. के. दीवान,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्रमांक 06/दो-2-11/2004.—श्री इन्दर सिंह उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 10th January 2014

No. 226/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Harendra Singh Nag, J.M.F.C., Konta, District Dakshin Bastar Dantewara.	Konta	Dakshin Bastar Dantewara.
2.	Shri Kamlesh Jagdalla, J.M.F.C., Dongargarh, District-Rajnandgaon.	Dongargarh	Rajnandgaon
3.	Shri Kamlesh Kumar Jurri, J.M.F.C., Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Shri Vikram Pratap Chandra J.M.F.C., Mungeli	Mungeli	Bilaspur
5.	Smt. Ekta Agrawal, J.M.F.C., Bilaspur, District-Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
6.	Shri Krishnakant Bhardwaj, J.M.F.C., Bilaspur, District-Bilaspur.	Bilaspur	Bilaspur
7.	Shri Janardan Khare, J.M.F.C., Marwahi, District- Bilaspur	Marwahi	Bilaspur
8.	Shri Anand Prakash Wariyal, J.M.F.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
9.	Shri Ajay Kumar Xaxa, J.M.F.C., Wadrafnagar, District-Surguja at Ambikapur.	Wadrafnagar	Surguja at Ambikaour
10.	Shri J. S. Patel, J.M.F.C., Rajpur, Disrtict- Surguja at Ambikapur.	Rajpur	Surguja at Ambikapur

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 03/दो-2-11/2007.—श्री मकरध्वज जगदल्ला, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.